न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, पीलीभीत
उपस्थितः–महेन्द्र श्रीवास्तव (एच0जे0एस0)

फौजदारी निगरानी सं0–232/2024

अकसीर जहां पत्नी मोबीन निवासी ग्राम केसरपुरकलां थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत।
.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट महोदय, जनपद पीलीभीत।
2. मदन मोहन चतुर्वेदी, घटना के वक्त तैनाती थानाध्यक्ष थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत।
3. अनिल कुमार, घटना के वक्त तैनाती एस.आई. थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत।
4. कमर अब्बार, घटना के वक्त तैनाती कांस्टेबिल थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत।
5. अखिलेश, घटना के वक्त तैनाती कांस्टेबिल थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत।
6. वसीम, घटना के वक्त तैनाती कांस्टेबिल थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत।

..... प्रत्यार्थीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से प्रकीर्ण वाद सं. 1242एम/2023 अकसीर जहां बनाम मदनमोहन चतुर्वेदी आदि में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 20.09.2024 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता की ओर से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय का संस्थित किया गया कि दिनांक 16.09. 2023 को रात समय करीब 12.30 बजे थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस मदन मोहन चतुर्वेदी एस०एच०ओ० अपने साथ लगभग 8–9 पुलिस वाले जिनमें कमर अब्बास, अखिलेश, वसीम, दरोगा अनिल सिंह व अन्य चार पुलिस वाले थे। उक्त लोगों ने गन्दी गन्दी माँ–बहन की गालियां देते हुये दरवाजा खुलावने को आवाज दी। प्रार्थिनी की पुत्री चांद उस्मानी दरवाजा खोलने गयी उससे पहले ही दरवाजा तोड़ कर एस०ओ० ने बेटी के बाल पकड़ कर घसीटते हुये बरामदे तक लाये और पीछे से घुसे पुलिस वालो ने सबसे पहले गलत इरादे से बिजली की तार खींच कर तोड़ दी थी तथा प्रार्थिनी की पुत्री के साथ जमीन पर गिरा कर गर्दन पर लात रखकर मारपीट करने लगे। जब प्रार्थिनी बचाने आयी तब वसीम, अखिलेश व कमर अब्बास, दारोगा अनिल सिंह व अन्य अज्ञात सिपाही ने प्रार्थिनी को पकड़ लिया तथा बाल पकड़कर जमीन पर गिरा कर लात घूसों व थप्पडों से मारपीट की तब तक प्रार्थिनी के दोनो नाबालिग बेटे जागकर बरामदे में आये तभी अन्य पुलिस वालो ने उनको भी मारना शुरू कर दिया। प्रार्थिनी व पुत्री चांद उस्मानी ने काफी पूछने की कोशिश की आखिर मारपीट तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं तब भी उक्त लोगो ं ने

Digitally signed by MAHENDRA SRIVASTAVA
Date: 2026.07.20 12:30:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कुछ नहीं बताया और घर की सारी चारपाई, इन्वर्टर बैटरा व अन्य सामान तोड दिया तथा घर में लगी पानी की मोटर व नल भी तोड़कर अपने साथ लेकर चले गये तथा कहा कि सुबह 10 बजे तक तुम लोग 3,00,000/–रू० और मोबीन को लेकर थाना पर आ जाना वरना अगली बार महिला पुलिस साथ लेकर आयेंगे तुम सबको घसीटते हुये थाना ले जाकर गौकशी के झूठे मुकदमें मे जेल इस हालत मे भेजेगें कि अपने पैरो से चलने के लायक नहीं रहोगे। जबकि प्रार्थिनी के पति लखीमपुर अपनी बीमार बहन को देखने उनके घर गये हुये थे। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार मारपीट कर प्रार्थिनी के घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। प्रार्थिनी की पुत्री चांद उस्मानी को काफी गम्भीर चोटें होने के कारण सरकारी अस्पताल पूरनपुर लेकर गये वहां से जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर कर दिया। प्रार्थिनी की पुत्री सरकारी अस्पताल पीलीभीत में भर्ती रही। प्रार्थिनी दिनांक 16.09.2023 को श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी पूरनपुर स्वयं जाकर लिखित शिकायत की तथा प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत व अन्य कई उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.09.2023 को प्रार्थना पत्र दिये, जिनपर कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

3. निगरानी के अनुसार आदेश दिनांक 20.09.2024 माननीय अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत निगरानीकर्ती के विरुद्ध प्रति वैधता एवं शुद्ध निर्वाचन से परिपूर्ण न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, जोकि विधि प्रक्रिया को न अपनाते हुये विधि विरुद्ध एवं नियम विरुद्ध पारित किया गया है। निगरानीकर्ती के पति मोबीन पर गौकशी का कोई भी मुकदमा किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। निगरानीकर्ती के पति पर मात्र मारपीट के झूठे व फर्जी सह अभियुक्त के रूप में दो मुकदमे सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त घटना के वक्त निगरानीकर्ती के पति पर बी०डब्लू० या एन०बी०डब्लू० नहीं थे, जिसका शपथपत्र माननीय अवर न्यायालय में दाखिल है। निगरानीकर्ती के पति आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। विपक्षी सं0–2 लगायत 7 के पास कोई भी सर्च वारण्ट नहीं था, फिर किस वैधानिक अधिकार के पुलिस द्वारा उक्त कृत्य निगरानीकर्ती व उसके परिवार के साथ किया गया। निगरानीकर्ती द्वारा प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा–156 (3) सीआर०पी०सी० के प्रार्थना पत्र में स्वयं का शपथपत्र, पुलिस अधीक्षक पीलीभीत व अन्य उच्चाधिकारियों को प्रेषित पंजीकृत डाक से शिकायत रसीदें व फेहरिस्त के साथ 12.10.2023 से सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र पूरनपुर, जिला पीलीभीत के दवा के पर्चे एवं जिला अस्पताल पीलीभीत की डिस्चार्ज स्लिप की छायाप्रति तथा विभिन्न समाचार पत्रों में घटना की वारदात की खबर की छायाप्रति, जनसुनवाई प्रपत्र इत्यादि प्रपत्र दाखिल किये थे, जिससे उक्त घटना का निश्चित रूप से साबित होना पाया गया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना न्यायोचित था, लेकिन उसके बाबजूद भी माननीय अवर न्यायालय द्वारा घटना का क्षेत्राधिकार न बताकर उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.09.2024 पारित कर दिया, जोकि स्थिर रहने योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अवर न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) सीआर०पी०सी० थाना सेहरामऊ उत्तरी, जिला पीलीभीत में सत्यता के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किये जाने पर विवेचना के दौरान यदि रिश्वत के सम्बन्ध में कोई तथ्य साबित होता तो विवेचना स्थानान्तरित भी की जा सकती थी। माननीय अवर न्यायालय में निगरानीकर्ती द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र विधि संगत होने के कारण स्वीकार होने योग्य

था। इस कारण भी प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.09.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.09.2023 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। आदेश दिनांक 20.09.2023 पत्रावली का अवलोकन किये बगैर अपूर्ण विवेचना व दस्तावेजी साक्ष्य व अभिलेखीय साक्ष्य व प्रलेखीय साक्ष्य व सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच किये बिना व रंजिश की सटीकतः विवेचना किये बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये प्रश्नगत आदेश विधि विरुद्ध न होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। आदेश दिनांक 20.09.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आधारो पर निगरानी स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. विपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। विपक्षी सं. 2 लगायत 6 उपस्थित नहीं आये और विपक्षी सं. 1 की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित आये। उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश खिलाफ कानून एवं तथ्यो व परिस्थितियो के खिलाफ है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का वैधानिक प्रयोग न करते हुए विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश से न्याय का उद्देश्य विफल होता है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया गया है। विपक्षीगण के विरूद्ध संज्ञेय अपराध गठित होता है फिर भी विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश हर प्रकार से खिलाफ कानून है तथा आलोच्य आदेश निरस्त कर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना किए जाने हेतु निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

6. विपक्षी सं. 1 की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आलोच्य आदेश पूर्णतया विधिसम्मत् है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का वैधानिक प्रयोग करते हुए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156 (3) सीआर०पी०सी० निरस्त किया गया है। अतः निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

7. निगरानीकर्ता की ओर से स्वयं के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया गया है कि विपक्षी सं. 2 लगायत विपक्षी सं. 6 जो कि क्रमशः थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक एवं कांस्टेबिल हैं, दिनॉक 16.09.2023 की रात्रि मे उसके घर पर आये तथा उसके व उसकी पुत्री के साथ मारपीट की और घर पर रखा सामान तोड़फोड़ दिया गया। जाते समय विपक्षीगण कहकर गए कि 3,00,000रू. व मोबीन, जो कि निगरानीकर्ता/आवेदिका का पति है, को लेकर थाने पर आ जाना वरना गौकशी के झूठे मुकदमे मे जेल भेज देगें। विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका/निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण मुख्य रूप से विपक्षीगण, जो कि लोक सेवक है, पर रिश्वत के रूप मे 3,00,000रू. मांगे जाने का आक्षेप लगाया गया है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से

सम्बंधित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। आवेदिका/ निगरानीकर्ता की ओर से संस्थित प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की अंर्तवस्तु के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षीगण, जो कि लोकसेवक है, पर आवेदिका/ निगरानीकर्ता की ओर से 3,00,000रू. बतौर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकार आवेदिका/निगरानीकर्ता की ओर से विपक्षीगण पर जो आरोप लगाया गया है वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आता है और ऐसे मामलो की सुनवाई केंद्र या राज्य सरकारो द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीशो द्वारा की जाती है। इस प्रकार विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए इस निष्कर्ष में कि प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है, मे कोई अवैधानिकता नही है।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा निहित क्षेत्राधिकार के तहत प्रदत्त शक्तियो का वैधानिक रूप से प्रयोग करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिसमे विधि एवं क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि होना नही पायी जाती है। अतः निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी सं. 232/2024, अकसीर जहां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि निरस्त की जाती है। विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा पारित आलोच्य आदेश पुष्ट किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बंधित न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांकः 07.07.2026

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1,
पीलीभीत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 07.07.2026

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1,
पीलीभीत।